

Website:- [www.dipronline.org](http://www.dipronline.org)

email:- [projjn@rediffmail.com](mailto:projjn@rediffmail.com),

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, झुंझुनू

## बृजेन्द्र ओला आज जन औषधि केन्द्र का उद्घाटन करेंगे

झुंझुनू, 3 मई: सहकारिता राज्य मंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला मंगलवार (4 मई) को प्रातः 10.15 बजे जिला मुख्यालय स्थित राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल परिसर में झुंझुनू जिला सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. द्वारा संचालित जन औषधि केन्द्र का शुभारम्भ करेंगे। भण्डार के अध्यक्ष जगदीश खाजपुरिया एवं जनरल मैनेजर मनोहर लाल ने बताया कि इस समारोह की अध्यक्षता जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता करेंगे।

## स्वीकृत पेयजल कार्यों को 15 मई तक पूर्ण कर चालू करें

- गुप्ता

झुंझुनू, 3 मई: जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे पेयजल स्रोतों के स्वीकृत कार्यों को 15 मई तक पूर्ण करवाकर उन्हें अविलम्ब चालू करें ताकि गर्मी के मौसम में आमजन को इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि पेयजल से प्रभावित जिन गांवों में टैंकरों के जरिये पेयजल आपूर्ति की आवश्यकता है, वहां ग्राम पंचायत के माध्यम से पेयजल आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें। वे सोमवार को यहां कलेक्ट्रेट सभा भवन में बिजली, पानी व मौसमी बीमारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि पेयजल समस्या से प्रभावित ग्राम पंचायतों से टी.एफ.सी. में प्रस्ताव लेकर यहां भिजवाएं ताकि उन गांवों में भी पेयजल के कार्य स्वीकृत किए जा सकें। उन्होंने विद्युत निगम के अधिकारियों से बकाया प्रकरणों पर चर्चा करते हुए पेयजल स्रोतों के सिंगल फेस व अन्य बकाया विद्युत कनेक्शनों को जल्द करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ओजटू, मुकुन्दगढ़, कांकरियां, कलाखरी, सागा आदि गांवों की पेयजल समस्या के संबंध में समाधान करने के निर्देश जलदाय विभाग के अधिकारियों को दिए। विद्युत आपूर्ति और विद्युत कटौती की समीक्षा के दौरान जिला कलेक्टर ने निगम के अधिकारियों से कहा कि वे पेयजल स्रोतों की विद्युत आपूर्ति में कटौती नहीं करें।

जिला कलेक्टर ने चिकित्सा एवं पशुपालन विभाग से मौसमी बीमारियों एवं दवाओं तथा चारे की उपलब्धता तथा पंचायत मुख्यालयों पर लग रहे पशु चिकित्सा शिविरों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कहा कि फूड पोईजनिंग के मामलों में विशेष सतर्कता बरती जाए और जांच के दौरान जिन खाद्य पदार्थों के नमूने सही नहीं पाए गए हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी अमल में लायी जाए। उन्होंने आगामी खरीफ के लिए खाद व बीज की उपलब्धता अभी से

सुनिश्चित करने को कृषि विभाग के अधिकारियों से कहा है। बैठक में अपर कलेक्टर के.एल. मीणा ने बताया कि जिले के 175 गांवों व ढाणियों में 248 टैंकर से प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की जा रही है। विभागीय अधिकारियों ने भी अपने से संबंधित कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। बैठक में विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियन्ता एम.एस. खमेसरा, अधिशासी अभियन्ता मांजू सहित पशुपालन, चिकित्सा, कृषि व जलदाय विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।

## आवेदन पत्रों की कमियों को दूर करने के निर्देश

झुंझुनू, 3 मई: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जिले में संचालित अनुदानित एवं निजी महाविद्यालयों में वर्ष 2009-10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जिन छात्र-छात्राओं ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है, उनके आवेदन पत्रों में कुछ कमियां पाई गई हैं। विभाग के सहायक निदेशक मनफूल सिंह ने बताया कि इन कमियों को आगामी 15 मई तक दुरूस्त करना होगा।

उन्होंने बताया कि कुछ आवेदन पत्रों में छात्र/प्राचार्य के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरों का अभाव पाया गया है, वहीं कुछ आवेदन पत्रों में संबंधित छात्र-छात्रा के बैंक खाता नम्बर भी नहीं लिखे हुए हैं। जिन छात्र-छात्राओं ने अध्ययन में गैप का शपथ पत्र 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम पेपर पर आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किया है वे इसे संलग्न करें और जिन आवेदकों ने आवेदन पत्रों के साथ जाति व आय के प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रारूप में संलग्न नहीं किए हैं वे भी संलग्न करें। वर्णित कमियों की पूर्ति के लिए संबंधित महाविद्यालयों या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में निर्धारित तिथि तक सम्पर्क करके आवेदन पत्रों की पूर्ति करें। उन्होंने कहा कि जो आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक पूर्ण नहीं किए जाएंगे उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

## बी.एल.ओ. व पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण सूचना केन्द्र में

झुंझुनू, 3 मई: मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के लिए लगाये गये बूथ लेवल अधिकारियों व पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 4 व 5 मई को सूचना केन्द्र के सभागार में आयोजित होगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी नरेन्द्र कुमार कोठारी ने बताया कि मतदान केन्द्र संख्या 66 से 130 तक के बी.एल.ओ. एवं 5 से 11 तक के पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 4 मई को अपराह्न दो बजे से और मतदान केन्द्र संख्या एक से 65 तक के बी.एल.ओ. व एक से चार तक के पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 5 मई को सूचना केन्द्र में प्रातः 11 बजे से दिया जाएगा।

महानरेगा के 23 कार्यों के लिए 101.62 लाख रूपये स्वीकृत

झुंझुनू, 3 मई: जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने आदेश जारी करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत 3 पंचायत समिति क्षेत्रों में 23 कार्यों के लिए 101.62 लाख रूपये स्वीकृत किये हैं। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.एम. काला ने बताया कि झुंझुनू पंचायत समिति क्षेत्र के वाहिदपुरा, कुमास, मोतीसर, शेखसर, रणजीतपुरा, हमीरवास लाम्बा, इस्लामपुर व जीवाराम की ढाणी में 9 कार्यों के लिए 42.99 लाख रूपये स्वीकृत किये हैं, जबकि अलसीसर पंचायत समिति क्षेत्र के झटावा खुर्द, मलसीसर, बास हमीरखां, पातुसर, ढीलसर, रामसिंहपुरा, शिवदयालपुरा, बीदासर, भूतिया का बास, बाजला, हणुतपुरा और फिरास का बास में 12 कार्यों के लिए 48.63 लाख रूपये स्वीकृत किये हैं तथा चिड़ावा पंचायत समिति के मण्डूला व धत्तरवाला में दो कार्यों के लिए 10 लाख रूपये की राशि मंजूर की गई है।

## फोटो पहचान पत्र से वंचित मतदाता अपने दो फोटो बूथ लेवल अधिकारी को उपलब्ध कराएं

झुंझुनू, 3 मई: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने एक आदेश जारी करके जिले के फोटो पहचान पत्र से वंचित मतदाताओं से कहा है कि वे अपने दो रंगीन फोटो फार्म संख्या 8 के साथ संबंधित बूथ लेवल अधिकारी को 20 मई तक उपलब्ध कराएं ताकि उनके फोटो पहचान पत्र बनवाए जा सकें। उन्होंने कहा है कि जो मतदाता इस अवधि में यह सूचना उपलब्ध नहीं कराएंगे उन मतदाताओं के नाम चिन्हित करके मतदाता सूची से नाम हटाने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के.एल. मीणा ने बताया कि फोटो युक्त मतदाता सूची 2009 के दोनों पूरकों को एकीकृत फोटोयुक्त मतदाता सूची 2010 तैयार की जाएगी। इस कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित त्रुटियों के निराकरण के लिए प्रत्येक भाग की एकीकृत मतदाता सूची 2010 की वर्किंग कॉपियों (चैक लिस्टों) का संबंधित बी.एल.ओ. द्वारा आगामी 20 मई तक घर-घर जाकर शत प्रतिशत भौतिक सत्यान किया जाएगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी द्वारा मतदाता सूची में नाम सम्मिलित, विलोपित और संशोधित करवाये जाने वाले फार्मों का वितरण भी किया जाएगा। इसी दौरान अब तक फोटो पहचान पत्र नहीं बनवाने वाले मतदाता अपने आवेदन बूथ लेवल अधिकारी को उपलब्ध करा सकेंगे।

-----

## अलसीसर में औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन आज

झुंझुनू, 3 मई: अलसीसर पंचायत समिति में जिला उद्योग केन्द्र की ओर से एक दिवसीय औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन मंगलवार (4 मई) को किया जाएगा। उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक मनीराम ने बताया कि शिविर में मौके पर ही औद्योगिक इकाईयों के मेमोरेण्डम पार्ट प्रथम व द्वितीय जारी किए जाएंगे और आर्टीजन क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के हस्तशिल्प पहचान पत्र के आवेदन पत्र भी तैयार करवाए जाएंगे। शिविर में प्रातः 9.30 बजे से सायं 6 बजे तक उद्योग, वित्त निगम, रीको, खादी ग्रामोद्योग तथा बैंक के अधिकारियों द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी देकर मौके पर ही आवेदन पत्र तैयार करवाए जाएंगे।

-----

### मई में बी.पी.एल. व राज्य बी.पी.एल. को 2 रूपये किलो गेहूं दिया जाएगा

झुंझुनू, 3 मई: जिला रसद अधिकारी हरभजन सिंह ने बताया कि मई माह में बी.पी.एल. एवं राज्य बी.पी.एल. राशन कार्डधारी व्यक्तियों को 25 किलो गेहूं प्रति परिवार 2 रूपये प्रति किलो की दर से वितरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 26 हजार 826 बी.पी.एल. परिवारों को 6721.50 क्वि. और राज्य बी.पी.एल. के 22 हजार 509 राशन कार्डधारियों को 5627.25 क्वि. गेहूं 2 रूपये प्रति किलो की दर से वितरित किया जाएगा। उन्होंने थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे आवंटित गेहूं का उठाव शीघ्र करके सूचित करें।

-----